

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र


क्रमांक: एफ.1(1)(56)/निमअ/स्था/पार्ट-1/2015/ 182-1924 जयपुर, दिनांक 22/11/19

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
जिला- समस्त।

विषय:- उपार्जित अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति के संबंध में।
प्रसंग:- पूर्व में जारी पत्रांक 42847-79 दिनांक 21.01.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में प्रायः यह देखने में आया है कि आपके द्वारा प्रासंगिक पत्र की पालना सुनिश्चित नहीं करते हुये वर्तमान में भी उपार्जित अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने के प्रार्थना-पत्र अवकाश अवधि के प्रारंभ होने से कुछ दिन पूर्व ही प्रेषित किये जाते हैं तथा बिना स्वीकृति प्राप्त किये अवकाश पर प्रस्थान करते हुये मुख्यालय छोड़ देते हैं। अवकाश अवधि से पूर्व अवकाश प्रार्थना पत्र प्रेषित नहीं करने के कारण कार्यभार की व्यवस्था करने में समस्या उत्पन्न होती है तथा विभागीय गतिविधियों के संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़े। अवकाश स्वीकृति होने पर आपका चार्ज किसी अन्य जिलाधिकारी को दिलवाये जाने की कार्यवाही जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित करवायें। चार्ज दिये जाने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे, जिसकी सूचना जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। निर्देशों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।


(पी.सी. पूवन)
निदेशक
महिला अधिकारिता
जयपुर, दिनांक

क्रमांक: एफ.1(1)(56)/निमअ/स्था/पार्ट-1/2015/

प्रतिलिपि- निम्न कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ठ निजि सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, राजस्थान।
3. जिला कलक्टर समस्त.....।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त.....।
5. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त.....।
6. रक्षित पत्रावली।
7. जिला कलक्टर को विभागीय कोकसाईट पर उपरोक्त हेतु प्रेषित।

अति. निदेशक, एस.एच.जी.
महिला अधिकारिता